

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आह्वाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
892/2024

दायर दिनांक  
25.10.2024  
उनवान

निर्णय दिनांक  
19-12-24

1. सुरेश चन्द्र पुत्र भंवरलाल बसेर उम्र वयस्क निवासी सुरास तहसील माण्डलगढ जिला  
भीलवाडा राजस्थान  
बनाम  
-प्रार्थी

1. शोभा लाल पिता देबी जाट उम्र वयस्क निवासी जीवाखेड़ा तहसील सवाईपुर जिला  
भीलवाडा
2. अमरचन्द्र पिता उदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी दोवनी तहसील सवाईपुर जिला  
भीलवाडा
3. कैलाश चन्द्र पिता रामचन्द्र गुर्जर उम्र वयस्क निवासी दोवनी तहसील सवाईपुर जिला  
भीलवाडा
4. रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी दोवनी तहसील सवाईपुर जिला  
भीलवाडा
5. श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी दोवनी तहसील सवाईपुर जिला  
भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये भू-धारक तहसीलदार तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी मदनलाल व्यास  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं

-विपक्षीगण

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दोवनी प0ह0 जीवा का खेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 278 की अभिलिखित आराजियात 473/14 कुल किता 01 कुल रकबा 1.7285 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा दोवनी प0ह0 जीवा का खेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 278 की अभिलिखित आराजियात 473/14 कुल किता 01 कुल रकबा 1.7285 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19-12-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह न्यायज्ञ)   
उपनिदेश अधिकारी  
भीलवाडा